

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0-भवन/स्था0-02-विविध-78/2022-28...../ पटना, दिनांक-

17/1/25

कार्यालय आदेश

श्रम संसाधन विभाग, (निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण) के पत्रांक-530 दिनांक-13.12.2024 के आलोक में श्री रमेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभाग स्तर पर Apprentices Act- 1961 के अनुपालन एवं क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

17.01.25
(ललित कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 648 (1)

पटना, दिनांक- 17/1/25

प्रतिलिपि-सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना प्रक्षेत्र, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-प्रशिक्षुता सलाहकार व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) का क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार तारामंडल प्रथम तल, निकट कोतवाली थाना पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 648 (1)

पटना, दिनांक- 17/1/25

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी उप सचिव/निदेशक अनुश्रवण-सह -मूल्यांकन कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.25
विशेष कार्य पदाधिकारी।
Shivam